Section 141 : Transitional provisions relating to job work

(1) Where any inputs received at a place of business had been removed as such or removed after being partially processed to a job worker for further processing, testing, repair, reconditioning or any other purpose in accordance with the provisions of existing law prior to the appointed day and such inputs are returned to the said place on or after the appointed day, no tax shall be payable if such inputs, after completion of the job work or otherwise, are returned to the said place within six months from the appointed day:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

Provided further that if such inputs are not returned within the period specified in this sub-section, the input tax credit shall be liable to be recovered in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (8) of section 142.

(2) Where any semi-finished goods had been removed from the place of business to any other premises for carrying out certain manufacturing processes in accordance with the provisions of existing law prior to the appointed day and such goods (hereafter in this section referred to as "the said goods") are returned to the said place on or after the appointed day, no tax shall be payable, if the said goods, after undergoing manufacturing processes or otherwise, are returned to the said place within six months from the appointed day:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

Provided further that if the said goods are not returned within the period specified in this sub-section, the input tax credit shall be liable to be recovered in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (8) of section 142:

Provided also that the manufacturer may, in accordance with the provisions of the existing law, transfer the said goods to the premises of any registered person for the purpose of supplying therefrom on payment of tax in India or without payment of tax for exports within the period specified in this sub-section.

(3) Where any excisable goods manufactured at a place of business had been removed without payment of duty for carrying out tests or any other process not amounting to manufacture, to any other premises, whether registered or not, in accordance with the provisions of existing law prior to the appointed day and such goods, are returned to the said place on or after the appointed day, no tax shall be payable if the said goods, after undergoing tests or any other process, are returned to the said place within six months from the appointed day:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

Provided further that if the said goods are not returned within the period specified in this sub-section, the input tax credit shall be liable to be recovered in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (8) of section 142:

Provided also that the manufacturer may, in accordance with the provisions of the existing law, transfer the said goods from the said other premises on payment of tax in India or without payment of tax for exports within the period specified in this sub-section.

(4) The tax under sub-sections (1), (2) and (3) shall not be payable, only if the manufacturer and the job-worker declare the details of the inputs or goods held in stock by the job-worker on behalf of the manufacturer on the appointed day in such form and manner and within such time as may be prescribed.

धारा 141 : जॉब कार्य के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध

(1) जहां कारबार के स्थान पर प्राप्त किन्हीं इनपुटों को, उस रूप में या जॉब कर्मकार द्वारा उनके संबंध में आंशिक रूप से प्रसंस्करण किए जाने के पश्चात्, नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार आगे और प्रसंस्करण, परीक्षण, मरम्मत, पुनर्नकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए हटाया जाता है और ऐसे इनपुटों को नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान पर वापस लौटाया जाता है, वहां कोई कर संदेय नहीं होगा यदि ऐसे इनपुटों को जॉब कार्य या अन्यथा के पूरा हो जाने के पश्चात् नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर लौटा दिया जाता है :

परन्तु छह मास की अवधि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी :

परन्तु यह और कि यदि ऐसा इनपुट इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार वसूली किए जाने का दायी होगा।

(2) जहां कोई अर्ध–निर्मित माल नियत दिन से पूर्व कारबार के किसी स्थान से विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार कतिपय विनिर्माणकारी प्रक्रियाएं करने के लिए किसी अन्य परिसर को प्रेषित् किए जाने के लिए हटाया गया था और ऐसा माल (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में ''उक्त माल'' कहा गया है) नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान पर वापस लौटाया जाता है तो कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल, विनिर्माणकारी प्रक्रियाएं करने या अन्यथा के पश्चात् नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है :

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर आयुक्त द्वारा छह मास की अवधि को दो मास से अनधिक अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूली किए जाने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि विनिर्माता, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार, उक्त मालों को, भारत में कर के संदाय पर या निर्यात के लिए कर के संदाय के बिना, इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि में भीतर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसरों में, वहां से उनकी पूर्ति के प्रयोजन के लिए स्थानांतरित कर सकेगा।

(3) जहां कारबार के स्थान पर कोई विनिर्मित किया गया उत्पाद–शुल्क या माल किसी अन्य प्रसंस्करण अथवा बाहर कोई परीक्षण कराए जाने हेतु शुल्क के संदाय के बिना किसी अन्य परिसर में हटा दिया गया था, विद्यमान विधि के अनुसरण में नियत दिन और ऐसे माल के लिए पूर्व में उक्त स्थान पर अथवा नियत दिन के पश्चात् वापस किया जाता है, कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल परीक्षण के अधीन अथवा किसी अन्य प्रक्रिया से नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर वापस किया जाता है :

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर आयुक्त द्वारा छह मास की अवधि को, दो मास से अनधिक अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूली किए जाने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि विनिर्माता, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात हेतु कर के बिना संदाय अथवा भारत में कर के संदाय पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसर पर उक्त माल को स्थानांतरित करता है।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन कर उस समय संदेय नहीं होगा, यदि केवल विनिर्माता और जॉब कर्मकार यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर और उस प्ररूप और रीति में नियत तारीख पर विनिर्माता की ओर से जॉब कर्मकार द्वारा स्टाक में धारित माल अथवा इनपुट के ब्यौरे की घोषणा करेगा।